–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया ––– प्रार्थीया
2. राज पैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा ––अप्रार्थी संख्या 3
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।

–:: निर्णय :–

दिनांकः–

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि –

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है जिसमे प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है।

यह कि प्रार्थीया हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता श्री रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम थे। जहां तक प्रार्थना पत्र का संबंध है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी के खाता सं. 77 के प.नं. 23/344 के किला नं. 19/1, 20/1, 21/1, 22, 23/1, 24/1, 25/1 की 1.100 हैक., प.नं. 23/345 के किला नं. 24/2, 25/1, 25/2 की 0.468 हैक. कुल तादादी 1.568 हैक. कमाण्ड अ.क. म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 45 के प.नं. 30/346 के किला नं. 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की कुल 3.011 हैक. कमाण्ड मे से 1505/3011 हिस्सा

मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थीया के दादा श्री रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज हुई तथा दादा श्री रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम के जीवनकाल मे वादग्रस्तं पैतृक कृषि भूमि की आय से प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खरीदकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाई। इस प्रकार समस्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण से प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। कुछ समय पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा हुआ और घरा घरू बंटवारा के समय अप्रार्थी सं. 1 ने अपना पैतृक हक व हिस्सा प्रार्थीया की माता बिमला के नाम से इन्द्राज करवा दिया और शेष कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 को घरू बंटवारा मे बांटकर दे दी।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम प्रार्थना पत्र की मद सं. 3–4 मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीया अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा निहित है और इसी हक व हिस्सानुसार प्रार्थीया काबिज काश्त है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए प्रार्थीया वाद पत्र की दफा 3–4 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1ध्2 हिस्सा की घोषणा करवाने एवं अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधानुसार आपसी खाता तकसीम करवाने की अधिकारिनी हैं।

यह कि अप्रार्थी सं. 1–2 एक राय हैं। अप्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 2 के नाजायज दबाव मे है जिसके कारण से अप्रार्थी सं. 1–2 प्रार्थीया के पैतृक हक व हिस्सा की कृषि भूमि को हर प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं. 1–2 अपने इन मनसुबों में कामयाब हो जातें हैं तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थीया के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थी सं. 1 के नाम प्रार्थना पत्र की मद सं. 3–4 में वर्णित कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थीया के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे।

–::आदेश::–

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में वाद पत्र जैरकार है जिसमें गणोवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए

जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 09.07.25 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 12/05/26 सरे ईजलास पढकर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा